PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Friday, 21st January 2011, Page: 5
Width: 12.74 cms Height: 10.50 cms, Ref: pmin.2011-01-21.52.12

दवाइयों के टेंडर में नियम दरकिनार

जितेंद्र सिंह, पश्चिमी दिल्ली

हेराफेरी

- दिल्ली कैंट बोर्ड ने की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नियम की अनदेखी
- टेंडर ओपनिंग कमेटी होने के बावजूद चुपचाप खोल दिया टेंडर

दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में नियमों को दरकिनार करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार दवाइयों की खरीद-फरोख्त में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नियमों को ताक पर रखकर टेंडर खोल दिया गया। मामला पकड़ में आया तो टेंडर निरस्त कर दोबारा मंगाने में भी देरी नहीं लगाई।

दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को निशुल्क दवाई उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कई सालों से बिना किसी अनुबंध के सदर बाजार के एक मेडिकल स्टोर से करोड़ों की दवाई खरीदी जा रही थी। कुछ माह पूर्व बोर्ड के सदस्य अरुण सिंह डडवाल ने बिना अनुबंध के दवाई खरीदने का विरोध किया था। इस पर बोर्ड बैठक में टेंडर जारी करने पर सहमति बनी। बोर्ड ने मेडिकल स्टोरों से निविदाएं आमंत्रित की। इसके लिए तीन मेडिकल शॉप संचालकों ने टेंडर भरे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के नियमानुसार, टेंडर मंगाने वालों को टेंडर खोलने का अधिकार नहीं है। जबकि बोर्ड में टेंडर ओपनिंग कमेटी है, जिसकी चेयरमैन अनुपमा त्रिपाठी और लालचंद मेहरोलिया व संजीव नैयर सदस्य हैं। कोई भी टेंडर इनकी उपस्थिति में ही खोला जाना चाहिए। दवाई खरीद मामले में ऐसा नहीं किया गया। टेंडर डालने वाले तीनों मेडिकल संचालकों को भी टेंडर खोलने के दौरान नहीं बुलाया। बोर्ड के सीईओ ए. शेखर बाबू ने कैंट जनरल अस्पताल की सीएमओ डॉ. अनु आनंद एवं एक अन्य डॉक्टर गुरुदेव की उपस्थिति में गुपचुप तरीके से टेंडर खोल दिया। इसके बाद गोपीनाथ बाजार के एक मेडिकल स्टोर का सबसे ज्यादा डिस्काउंट 18 प्रतिशत होने पर टेंडर दे भी दिया गया।

20 दिसंबर की बोर्ड बैठक में सदस्य नीना शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। वहीं लालचंद मेहरोलियां ने टेंडर खोलने की प्रक्रिया को गैरकानूनी बताया। मामला तूल पकड़ता देख सीईओ ने बोर्ड बैठक में गलती मानी और टेंडर को निरस्त करने के निर्देश जारी कर दिए।